

जतिष्ठ प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इल्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


रामकिशन बनाम फूला

बाबत :- 53,88,188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -95/17
पेश करने की दिनांक - 21.7.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई सुखदेव चौधरी मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम कल्याणीपुरा के खाता संख्या 57/52 खसरा नम्बर 317/737, 318/738, 319/739, 331/735, 344, 380/741, 600 रकबा 0.04, 0.02, 0.02, 0.01, 0.09, 0.01, 1.70 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक १ माह १२ सन् 20१७ को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टांम्प अरजी रावा स्टांम्प वकालतनामा स्टांम्प वजह मेहनताना वकील फीस कमिशनर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टांम्प वकालतनामा स्टांम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान




उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


रामकिशन बनाम फूला

क्रमांक :- 53,88,188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -95/17
पेश करने की दिनांक - 21.7.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरु श्री राकेश कुमार गुप्ता (अ. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई फारुख खत्री मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम कल्याणीपुरा के खसरा नम्बर 317/737/1, 318/738/1, 319/739/1, 331/735/1, 344/1, 380/741/1, 600/1 रकबा 0.02, 0.01, 0.01, 0.0050, 0.0450, 0.0050, 0.85 पर रामकिशन पुत्र सूरजमल को खसरा नम्बर 317/737, 318/738, 319/739, 331/735, 344, 380/741, 600 रकबा 0.02, 0.01, 0.01, 0.0050, 0.0450, 0.0050, 0.85 पर फूला पुत्र सुरजमल को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद


खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 12 सन् 2020 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला


स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक



स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद